International Journal of Literacy and Education

E-ISSN: 2789-1615
P-ISSN: 2789-1607
Impact Factor: 5.69
IJLE 2023; 3(2): 118-121
www.educationjournal.info
Received: 03-08-2023
Accepted: 09-09-2023

सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा विभाग अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
सरिता
एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा विभाग अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

स्त्री शिक्षा एवं समावेशनः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन

सरिता

सारांश
भारत में स्त्रियाँ सामाजिक रूप से एक वंचित वर्ग है जिसकी शिक्षा एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी इक्कीसवीं शताब्दी में भी पुरुषों की तुलना में सीमित है। आजादी के बाद से लेकर अब तक बने विभिन्न शिक्षा आयोगों, नीतियों एवं समितियों का स्त्री शिक्षा एवं उनके समावेशन की दृष्टि से अध्ययन करना इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है। इस लेख में स्वतंत्र भारत के प्रथम आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से प्रारंभ कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक विभिन्न आयोगों का गहनता से अध्ययन किया गया है एवं तदुपरांत निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए गए हैं।

कुटशब्दः स्त्री शिक्षा, आयोग, समावेशन, भागीदारी

प्रस्तावना
आजादी के समय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत पिछड़ी थी। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, गरीबी, कृषि प्रधानता, पितृसत्तात्मकता इत्यादि भी स्त्रियों की पिछड़ी सामाजिक स्थिति के उत्तरदायी कारक थे। आजादी के बाद स्त्रियों की पर्याप्त सामाजिक एवं शैक्षिक भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास हुए। विभिन्न शिक्षा आयोगों, नीतियों एवं समितियों इत्यादि की स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या–क्या अनुशंसाएँ रही, इसका गहनता से अध्ययन किया गया है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)
आजादी के उपरांत शिक्षा से संबंधित यह पहला आयोग था। इस आयोग के अध्याय बारह में स्त्री शिक्षा पर विस्तारपूर्वक स्थिति को स्पष्ट किया गया है एवं इसके महत्त्व को स्पष्ट किया गया है। इसमें राष्ट्रीय जीवन में स्त्री शिक्षा की महत्ता पर चर्चा है तदुपरांत स्त्रियों की शिक्षा में भी पिछड़ी स्थिति को स्पष्टता से बताया गया है। स्त्री–पुरुष शिक्षा में असमानता भी इस आयोग ने रेखांकित की है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्त्व को बताते हुए बच्चे के लिए माँ को ही सर्वोत्तम शिक्षिक माना है। इस आयोग का मानना था कि अगर पुरुष एवं स्त्री में से किसी एक तक सीमित रखने पड़े तो स्त्रियों को शिक्षा के अवसर देने चाहिए क्योंकि स्त्रियाँ इसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित निश्चित रूप से कर देगी।
इस आयोग ने विश्वविद्यालयों में स्त्रियों के लिए उनकी रुचि के अनुसार विषय एवं अन्य ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता की भी अनुशंसा की है। इसमें लिखा है कि स्त्रियों के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम जैसे होमइकोनोमिक्स, नर्सिंग, शिक्षण इत्यादि विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किए जाने चाहिए।
इस आयोग ने विश्वविद्यालयों में ढाँचागत स्थितियों को भी स्त्रियों के लिए अनुकूल करने एवं स्त्रियों की शिक्षा में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जैसे विश्वविद्यालयों में स्त्रियों की नियुक्तियों तथा पुरुष के समान वेतन महत्त्वपूर्ण है। स्त्री शिक्षिकाओं को पुरुष शिक्षकों के समान वेतन की अनुसंशा भी इसी आयोग ने सर्वप्रथम की थी।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा के महत्त्व को समझा एवं देश, परिवार और समाज की प्रगति में स्त्री की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी और इसी क्रम में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने वाले सुझाव प्रस्तुत किए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उपरांत माध्यामिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें आयोग ने 'स्त्री–शिक्षा की कुछ विशेष समस्याएं' शीर्षक के अन्तर्गत स्त्री शिक्षा की देश में स्थिति पर प्रकाश डाला। इसमें स्त्री–शिक्षा की समस्याओं को दूर करने हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस आयोग ने बालक–बालिकाओं के लिए घर तथा समुदाय दोनों ही क्षेत्रों की शिक्षा को आवश्यक बताया क्योंकि भावी जीवन में ये अभिभावक एवं नागरिक की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएं। गृहविज्ञान विषय के शिक्षण पर जोर दिया बालिकाओं के लिए। समाज में अलग ढाँचे के अनुसार जहाँ भी संभव हो बालिकाओं हेतु अलग विद्यालय स्थापित करने का सुझाव भी इस

आयोग ने दिया। सहशिक्षा के साथ–साथ बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना का सुझाव भी प्रमुख है।
सहशिक्षा विद्यालयों में पुरुषों के साथ–साथ स्त्री सदस्यों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया। पाठ्यक्रम में ड्राईंग, गृहकला, संगीत इत्यादि के शिक्षण का सुझाव इस आयोग ने दिया। स्त्रियों के लिए सैनेटरी सुविधाएँ, विश्राम कक्ष इत्यादि के प्रावधान का सुझाव दिया। ग्रामीण विद्यालयों में कम से कम एक स्त्री शिक्षिका की नियुक्ति का सुझाव दिया। विद्यालय प्रबंधन में भी स्त्री प्रतिनिधि सुनिश्चित करने का सुझाव इस आयोग ने दिया।
इस प्रकार विद्यालयों में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु इस आयोग ने अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए जिससे भारतीय समाज में बालिकाओं को और बेहतर अवसर शिक्षा के लिए उपलब्ध हो सकें।

द नेशनल कमेटी ऑन वूमेनस एजुकेशन (1958–59)

देश में स्त्री शिक्षा के संबंध में दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में इस समिति ने स्त्री शिक्षा के संबंध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इस समिति ने बालिकाओं के सार्वभौमिक नामांकन का लक्ष्य रखने का सुझाव दिया ताकि बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाई जा सके। बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षकों का प्रावधान, विद्यालय में वर्दी, मिड डे मील, सैनेटरी ब्लॉक, गांव में कार्यरत स्त्री शिक्षिकाओं के भत्ते इत्यादि का प्रावधान करने का सुझाव इस समिति ने दिया।
इस समिति ने स्त्री–शिक्षा की जरूरत और महत्त्व के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया। प्रौढ़ स्त्री शिक्षा के संबंध में भी अति महत्त्वपूर्ण सुझाव इस समिति ने दिए। बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रारंभ करने का सुझाव भी इस समिति ने दिया। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् तथा राज्य महिला शिक्षा परिषद् स्थापित करने की सिफारिश भी इस समिति ने की। इस समिति ने स्त्री शिक्षा को बढ़ाने हेतु पंचवर्षीय योजना एवं योजना आयोग में स्त्री को महत्त्वपूर्ण स्थान देने का भी सुझाव दिया।

नेशनल कमेटी ऑन वूमेन्स एजुकेशन (1962)

इस समिति ने लड़के और लड़कियों के लिए बने शिक्षा के विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम में असमानता की पड़ताल की। इस समिति ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उसमें समान अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। इस संदर्भ में इसके प्रमुख सुझाव थे। प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षा को अपनाना और बढ़ावा देना, बालिकाओं के लिए माँग एवं आवश्यकतानुसार अलग से प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करना, माध्यमिक, सेकेण्डरी और महाविद्यालय स्तर पर भी सहशिक्षा एवं बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय एवं महाविद्यालय प्रारंभ करना। पाठ्यक्रम के संदर्भ में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक बालक और बालिकाओं के लिए एकसमान पाठ्यक्रम का सुझाव इस समिति ने दिया। उच्च सेकेण्डरी स्तर पर बालिकाओं के लिए गृहविज्ञान को महत्त्वपूर्ण विषय के रूप में इस समिति ने देखा। इस समिति ने विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में स्त्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया। इस समिति ने बालिकाओं के लिए 'वोकेशनल स्कूल' का भी सुझाव दिया।
इस समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

भक्तवत्सलम समिति (1963)

ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के संबंध में इस समिति के सुझाव भी अति महत्त्वपूर्ण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जन समर्थन की कमी को बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी में कमी का प्रमुख कारण इस समिति ने पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार एवं उनका विद्यालय में नामांकन दोनों ही बहुत कम पाए गए। इनको बढ़ावा देने हेतु इस समिति ने अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जिसमें प्रमुख था स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनता की राय बनाना। इस जनता की राय को बनाने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी रहेगी, ऐसा सुझाव भी प्रस्तुत किया गया।
जनता की राय स्त्री शिक्षा के पक्ष में बनाने के साथ–साथ शिक्षण कार्य स्थल की स्थिति भी बेहतर करने का भी सुझाव दिया। विवाह पश्चात् शिक्षण करने के लिए शिक्षिकाओं को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया जिसमें उनकी पार्ट टाईम नियुक्ति प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाओं की नियुक्ति में आयु संबंधी छूट का सुझाव दिया।
इस प्रकार इस समिति ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के संदर्भ में अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

- **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66)**

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत परिवर्तन लाने वाला आयोग था। इस आयोग ने शिक्षा व्यवस्था के 10+2+3 के पैर्टन का सुझाव दिया था। सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए इस आयोग ने सुझाव दिए थे। इस कड़ी में स्त्री शिक्षा पर भी इस आयोग ने अपने सुझाव दिए। इसमें स्त्री शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार को अधिक महत्त्व देना, बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक महत्त्व प्रमुख है। बालिकाओ की शिक्षा का महत्त्व इस आयोग ने सामाजिक रुपातंरण में तीव्रता लाने में भी पाया है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के लिए पर्याप्त एवं प्राथमिकता आधारित धनराशि उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। राज्य एवं केन्द्र स्तर पर स्त्री शिक्षा की देखरेख हेतु विशेष कार्यप्रणाली के निर्माण के सुझाव के साथ–साथ स्त्री शिक्षा के कार्यान्वयन की समुचित योजना बनाने का भी सुझाव प्रस्तुत किया।
इस आओग ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जिससे स्त्रियों की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाया जा सके एवं सामाजिक रुपांतरण में तीव्रता आ सके।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। स्त्री शिक्षा पर भी इसमें विस्तारपूर्वक लिखा है। इस नीति के पाँचवे अनुभाग में 'स्त्री समानता के लिए शिक्षा' में स्त्रियों की साक्षरता दर, उनकी शैक्षिक स्थिति इत्यादि पर उस समय की स्थिति स्पष्ट की गई है। निष्कर्ष रूप में इसमें कहा गया है कि शिक्षा का योगदान स्त्रियों को समानता दिलाने में पर्याप्त नहीं है। शिक्षा तक स्त्रियों की पहुँच कम है। इस नीति में शिक्षा को स्त्री सशक्तीकरण के रूप मे देखा गया है। इसमें स्त्रियों तक शिक्षा की प्रभावी पहुँच के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिसमे प्रमुख हैं, प्रारंभिक और व्यस्क शिक्षा का समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना, तकनीकी व्यावसायिक, पेशागत शिक्षा इत्यादि में स्त्रियों की पहुँच बढ़ाना, शैक्षिक कार्यक्रमों की समीक्षा और पुनर्संगठन प्रमुख है।
इस नीति में स्त्री सशक्तीकरण के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन सुझाया गया। इसके अनुसार स्त्रियों में सशक्तीकरण चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता से आता है जिसके लिए बहुत से प्रयास किए जाने चाहिए, जैसे कि स्त्रियों में सकारात्मक आत्म छवि का निर्माण, तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास, पर्याप्त सामाजिक भागीदारी की सुनिश्चितता, आर्थिक स्वतंत्रता के साधन प्रमुख हैं। इस नीति में महिला अध्ययन कार्यकम सुझाया गया जिसमें शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तार चार आयाम रखे गए।
इस नीति में बालिकाओं की दृष्टि से प्रारंभिक शिक्षा के

सार्वभौमीकरण के महत्त्व को भी समझा गया है जिसका सर्वाधिक लाभ बालिकाओं को मिलने की बात भी कही गई है।
इस प्रकार इस नीति में स्त्री शिक्षा के संबंध में उनके सशक्तीकरण से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

शिक्षा बिना बोझ के (1992–93)

इस समिति ने उस समय की विद्यालयी शिक्षा की खामियों को उजागर करते हुए उनको दूर करने के उपाय भी सुझाए जिससे विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्रो. यशपाल की अध्यक्षता वाली इस समित ने बच्चों को कक्षा में समझ न आ पाने के बोझ को स्पष्ट किया है जो उनके स्कूली बस्ते के बोझ से कहीं अधिक है। इस समिति ने विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अपने महत्त्वपूर्ण अवलोकन और सुझाव दिए, जैसे विद्यालयों की खराब हालत, शिक्षकों की विद्यालयों में अनुपस्थिति, विद्यालयों के संबंध में बच्चों के नकारात्मक अनुभव होना इत्यादि। इस समिति ने कमियों को उजागर करते हुए कुछ उपाय सुझाए जैसे कक्षा में वास्तविक वस्तु के अवलोकन पर अधिक जोर देना, बच्चों के जीवन से संबंधित करके भाषा को पढ़ाया जाना, गणित में समझ पर ध्यान देना न कि रटने पर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूली बस्ते का भार कम होना, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें ना होना इत्यादि।
इस प्रकार इस समिति ने विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए जिससे बालिका शिक्षा को भी लाभ मिलने की संभावना है और उनमें शिक्षा के विस्तार एवं उनकी कक्षा में भागीदारी में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत बदलाव के सुझाव दिए। इस नीति में शिक्षा के महत्त्व में लिखा है कि शिक्षा सर्वोत्तम समतलक के साथ–साथ एक सर्वोत्तम उपकरण है। इस नीति में समाज एवं राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका को अहम बताया गया है। सभी विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच होना भी आवश्यक बताया गया है। शिक्षा को समावेशन एवं समानता लाने का माध्यम भी कहा गया है। शिक्षा की सार्वभौमिकता बढ़ाने के लिए इस नीति के मुख्य सुझाव है ड्रॉपआउट की संख्या बालिकाओं में कम करने के लिए छात्रावासों की समुचित व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, सिविल समाज के सहयोग से ड्रॉपआउट के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र स्थापित करना, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों एवं लड़कियों को विद्यालय से जोड़े रखने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था का होना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष छात्रवृतियाँ विशेषकर छात्राओं के लिए प्रारंभ करना इत्यादि। इस नीति में यह भी सुझाव दिया गया कि एसईडीजी विद्यार्थियों के सशक्तीकरण के लिए बनाई जाने वाली नीतियों और योजनाओं में उस समूह की लड़की पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए।
जेंडर–समावेशी निधि के गठन का सुझाव भी इस नीति में दिया गया है जो कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। स्त्री शिक्षा की दृष्टि से यह प्रावधान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इस धनराशि का इस्तेमाल सरकार शौचालयों से संबंधित सुविधाओं, स्वच्छता, लड़कियों के लिए साइकिल खरीदने, सशर्त नकद हस्तांतरण इत्यादि में कर सकेगी। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में विद्यमान असमानताओं विशेषकर शिक्षा तक पहुंच में विद्यमान असमानताओं को अंत करना है जिससे वंचितों एवं बालिकाओं के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सके।
इस नीति में भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन सभी स्तरों पर करने की सिफारिशें की गई है एवं एक सशक्त राष्ट्र निर्माण हेतु शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इस नीति में वंचितों एवं स्त्री शिक्षा पर विशेष फोकस रखा गया है।

- **निष्कर्ष**

आजादी के बाद से ही बने विभिन्न शिक्षा आयोग एवं नीतियों में स्त्री शिक्षा पर भी विशेष महत्त्व दिया गया है। स्त्रियों की शिक्षा में भागीदारी एवं समावेशन को बढ़ाने हेतु समय–समय पर महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इन अयोगों में राष्ट्र की प्रगति में स्त्री की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना गया एवं स्त्री की शिक्षा में भागीदारी में वृद्धि करने हेतु भी उपाय सुझाए गए। राष्ट्र के सशक्तीकरण हेतु वंचित एवं स्त्रियों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण समझी गई और स्त्रियों के लिए समय–समय उनके सशक्तीकरण संबंधी, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, इसके अवसर उपलब्ध कराने में इन अयोगों एवं नीतियों तथा समितियां की अहम भूमिका रही है। आज स्त्री शिक्षा में आजादी के बाद से बहुत सुधार हो चुका है परंतु अभी और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्त्री शिक्षा, स्त्री सशक्तीकरण की दिशा को आगे बढ़ाने हेतु प्रावधान रखे हैं। आशा है भविष्य में स्त्री भी पुरुष के समान प्रत्येक सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी कर सकेगी एवं सशक्त होकर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Learning Without Burden (15 July 1993). Report of the National Advisory Committee Appointed by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. Ministry of Human Resource Development, Department of Education, New Delhi. https://14.139.60.153>bitstre...PDF
2. Mandal, Parimal. A Study on the Development of Women Education in India in the light of Government Initiatives. Inter-National Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT). 2021. Volume-9, Issue-1, January 2021. ISSN-2320-2882. Ijcrt.org, https://ijcrt.org>papers>IJC....PDF
3. National Educational Policy 2020. Ministry of Human Resource Development, Government of India. India. Ministry of Education. https://www.education.gov.in>...PDF.
4. National Policy on Education1986 (1986) Government of India Department of Education, Ministry of Human Resource Development, New Delhi, India. Ministry of Education. https://www.education.gov.in>...PDF
5. Report of the Committee to look into the Cause for Lack of Public Support Particularly in Rural Areas, for Girls' Education and to Enlist Public Cooperation. (1965). Ministry of Education, Government of India, Delhi. Report of the Committee to look into the cause for Lake of Public... 14.139.60.153 http://14.139.60.153>handle
6. Report of The Education Commission, 1964-66, (1970). National Council of Educational Research and Training, Ministry of Education, Government of India. Kothari Commission Report.pdf, Academics-India.com, https://www.academics- india.com>...
7. Report of the National Committee on Women's Education (May 1958 - January 1959). Ministry of Education, Government of India, New Delhi. https://14.139.60.153/handle/123456789/132

8. Report of the Secondary Education Commission (October 1952 - June 1953). Government of India, Ministry of Education, Gokhale Institute of Politics & E... https://dspace.gipe.ac.in>G/...PDF
9. The National Council for Women's Education, First Annual Report (1959-60), (1960). Ministry of Education, Government of India, Gokhale Institute of Politics & E... https://dspace.gipe.ac.in>handle
10. The Report of the University Education Commission (December 1948 – August 1949), Vol. 1, Ministry of Education, Government of India, 1962. The Radhakrishan Commission Report of 1948-49 Academics-India.com. https://www.academics-india.com>...